उ0प्र0 विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के द्वितीय शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री लाल बिहारी यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0-09 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
09- क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि जनपद-मऊ, तहसील एवं नगरपालिका मऊनाथ भंजन के मुहल्ला चकमेहंदी में आराजी नं० 90 जो सदियों से (खोर) आने-जाने के लिए कही 10 मीटर कही 12 मीटर चौड़ा रास्ता पश्चिम से पूरब की ओर जाती है जहाँ बीसों गावों के किसान अपने मवेशियों के साथ व गाड़ियों के साथ आते-जाते रहे है ?	जी नहीं। आराजी नम्बर 90 क्षेत्रफल-0.4350 हे० स्थित ग्राम चकमेंहदी परगना-मऊ तहसील सदर जनपद-मऊ जो राजस्व भू-चित्र भिन्न-भिन्न जगह पर भिन्न-मिन्न चौड़ाई का है किन्तु क्षेत्रफल के अनुसार सम्पूर्ण खोर की चौड़ाई 6 मीटर है, जिस पर मौके पर 4 मीटर चौड़ाई में पिच रोड (डामर) सड़क बनी है तथा इस रोड से काफी लोग आते-जाते रहते हैं।
क्या उक्त मार्ग पर अगल-बगल के कास्तकार अवैध रूप से कब्जा कर लिए हैं ?	जी नहीं। उक्त गाटे पर स्थल पर पक्की सड़क बनी हुयी है, जिसकी चौड़ाई लगभग 4 मीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार 2 मीटर सड़क और चौड़ी हो सकती है, जिसका सीमांकन कर दिया गया है। किसी कास्तकार को कोई आपत्ति नहीं है। वर्तमान में सड़क आवागमन में है। कोई अवैध कब्जा नहीं है।
क्या उक्त चकमार्ग को वैध रूप से मुक्त कराया जायेगा व नगर पालिका द्वारा पक्की सड़क बनवायी जायेगी ?	जी नहीं। उक्त गाटे पर स्थल पर पक्की सड़क बनी हुयी है, जिसकी चौड़ाई लगभग 4 मीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार 2 मीटर सड़क और चौड़ी हो सकती है, जिसका सीमांकन कर दिया गया है। किसी कास्तकार को कोई आपत्ति नहीं है। वर्तमान में सड़क आवागमन में है। कोई अवैध कब्जा नहीं है।
यदि हॉ, तो कब तक ?	उपरोक्तानुसार।
यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न ही नही उठता।

योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री।